आदरणीय महोदय,

राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी, अलीगढ़ वर्ष 2008 के अन्तर्गत दिनांक 28-01-2008 से 20-02-2008 तक की अवधि में आयोजन के सम्बन्ध में सामान्य सभा की बैठक दिनांक 23-01-2007 दिन बुधवार को समय अपराह्न 2.00 बजे प्रदर्शनी परिसर स्थित कृष्णांजलि नाट्यशाला में ज़िलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गई है।
अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आप उक्त बैठक में उक्त नियत तिथि,
समय व स्थान पर पधार कर बैठक की कार्यवाही में भाग लेने की कृपा करें।

दिनांक: जनवरी, 2008
Hkonh;]

(नलिन कुमार अवस्थी)
अपर जिलाधिकारी (नगर)/प्रभारी अधिकारी,
राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी,
अलीगढ़।

jktdh; vk|kfxd ,o df"k in'kuh] vyhx<A

dh

lkekU; lHkk dh vkxkeh in'kuh vk;ktu lUnHk e

vko';d cBd fnukd 23@01@2008 le; vijkUg 2-00 ct

LFkku & in'kuh ifjlj fLFkr d".kktfy ukVO'kkykA

———————————————

,t.Mk fjikV

आगामी प्रदर्शनी के आयोजन, कार्यक्रम निर्धारण, बजट एवं प्रबन्धन शुल्क व्यवस्थापन योजना पर विचार विमर्श व तिथियों के सन्दर्भ में यह आवश्यक बैठक आहूत की गई है :–

cBd grq ,t.Mk fjikV fuEuor g%

राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी, अलीगढ़ संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 26–09–2000 को प्राप्त हो गया था, जो दिनांक 12–09–2010 तक विधि मान्य है, इस तिथि के उपरान्त नवीनीकरण हेतु उपनिबन्धक फर्म्स एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, आगरा को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण आवेदन किया जाकर आगामी पाँच वर्ष हेतु पंजीयन नवीनीकरण कराया जायेगा।

1& in'kuh vk;ktu vof/k %

(1) गत वर्षों से प्रदर्शनी की आयोजन अवधि लगभग 24 (चौबीस) दिन रही है। इसबार भी प्रदर्शनी का आयोजन गत वर्षों की भाँति माह जनवरी के अन्तिम सप्ताह की तिथि से अर्थात 28 जनवरी, 2008 दिन सोमवार से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। अतः 24 दिवस की प्रदर्शनी अवधि प्रस्तावित है।

(2) आगामी प्रदर्शनी का आयोजन विगत प्रदर्शनियों के अनुभवों के आधार पर दिनांक 28–01–2008 दिन सोमवार से 20–02–2008 दिन बुद्धवार तक प्रस्तावित है।

(3) प्रदर्शनी की आयोजन अवधि में समापन दिवस के उपरान्त यदि किन्हीं कारणों से यथा दुकानदारों की मांग व अन्य स्थिति में प्रदर्शनी अवधि बढ़ाई जाती है, विस्तार किए जाने की दशा में बढ़े हुए दिवसों का ठेका विद्युत सजावट एवं आपूर्ति ठेका के लिए स्वीकृत राशि का अनुपातिक धनराशि विद्युत ठेकेदार से अतिरिक्त रूप में वसूल की जाएगी। साथ ही विद्युत ठेकेदार विद्युत उपभोग की अनुपातिक राशि दुकानदारों से चार्ज कर सकेंगे। कृपया उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है, क्योंकि इस बिन्दु पर समापन दिवस के बाद प्रदर्शनी विस्तार अवधि हेतु अनुपातिक राशि की वसूली ठेकेदार से करने में विवाद होता रहा है। अतः स्वीकृत ठेका राशि का निर्धारण के समय इस पर ध्यान दिया जाये, मात्र अतिरिक्त विस्तार अवधि का विद्युत उपभोग के बिलों को जमा कराने हेतु आनुपातिक विद्युत उपभोग की दरों को ही प्रदर्शनी दुकानदारों से वसूल कर सकें।

2& in'kuh dk mn?kkVu ,o lekiu dh frfFk;k dk fu/kkj.k :

28 जनवरी, 2008 दिन सोमवार को प्रदर्शनी का उद्घाटन दिवस निर्धारित करना प्रस्तावित है। बोर्ड की परीक्षा, राजकीय अन्य कारणों से भी फरवरी में ही समापन होना उचित है। अतः प्रदर्शनी का उद्घाटन उक्त कारणों से इस बार 28 जनवरी, 2008 दिन सोमवार प्रस्तावित है तथा 24 दिवस का आयोजन स्वरूप दिनांक 20 फरवरी, 2008 दिन बुद्धवार प्रदर्शनी का समापन दिवस निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया प्रस्ताव उपरोक्तानुसार विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

3& dk;Øe dh :ijs[kk %

(1) कार्यक्रमों के निर्धारण एवं सहयोग हेतु सांस्कृतिक कार्य समिति को अपर ज़िलाधिकारी (नगर) की अध्यक्षता में नामित किया जाना प्रस्तावित है, समिति सरकारी/गैर सरकारी सदस्य गतवर्ष की भाँति दस सदस्य प्रस्तावित है।

(2) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ एवं उत्तर–मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद आदि से अधिकतम कार्यक्रमों को आयोजित कराए जाने का प्रयास जो न्यूनतम दरों पर/उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे।

(3) स्थानीय कलाकारों को पर्याप्त अवसर व प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अधिक कार्यक्रम स्थानीय रखे जाएं, जिससे प्रदर्शनी निधि से अन्य व्यय भी नहीं होगा।

(4) गत वर्ष अन्य प्रान्तों से आये हस्त शिल्प बाजार का आयोजन लाल–ताल के समीप किया गया था, जो सराहनीय रहा। इस वर्ष भी हस्त शिल्प बाजार का आयोजन लाल–ताल की ओर जहाँ सी0डी0ओ0/संस्था के कैम्प लगते हैं, उसी स्थान पर आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

(5) शताब्दी द्वार के समीप गत वर्ष मुक्ताकांश मंच का निर्माण किया, जिस पर लोक नृत्य, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषा के कार्यक्रम एवं स्कूली बच्चों के नृत्य, बूगी–वूगी प्रतियोगिता, अलीगढ़ आइडिल, लाफ्टर शो किया गया जो सराहनीय रहा। इस वर्ष भी मुक्ताकांश मंच पर उक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त और अच्छे ढंग के कार्यक्रम कराये जाने का प्रस्ताव हैं ।

(6) लेजर शो कराये जाने का प्रस्ताव है।

(7) देवद्वार, अटोरिया द्वार के मध्य जो स्थान है, पर गत वर्ष हॉर्स शो, कैटिल शो एवं डॉग शो का आयोजन किया गया था। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम इसी स्थान पर कराया जाना प्रस्तावित हैं।

(8) जनपद / महानगर स्तर से सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों को स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना।

(9) ए0एम0यू0 ड्रामा / म्यूजिक क्लब व ज़िला के सभी स्नातकोत्तर विद्यालयों को स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने हेतु आमंत्रित किया जाना। (धर्मसमाज महाविद्यालय, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय व श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़)।

(10) सभी मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन प्रायोजकों द्वारा कराए जाने का प्रयास किया जाना, जो कार्यक्रम प्रायोजित न हो सकें उन्हें प्रदर्शनी निधि से कराया जाना।

(11) स्थानीय संगठनों, क्लबों व विद्यालयों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु संसाधन अपने स्तर से जुटाने का प्रस्ताव।

(12) प्रदर्शनी के सभी कार्यक्रमों हेतु राजकीय (प्रभारी) व गैर–सरकारी (संयोजक) नियुक्त किए जाकर दोनों के समन्वय से कार्यक्रमों की सफल प्रस्तुति कराया जाना।

(13) कार्यक्रम हेतु निर्धारित बजट के अन्दर ही व्यय सुनिश्चित कराना।

(14) कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी व्यवस्थाएं बैनर्स, स्टेज सजावट (पुष्प सजावट सहित) कलाकारों की व्यवस्था आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही आयोजकों / प्रायोजकों से अपने स्तर से कराए जाने पर विचार।

4& dEi l ¼f'kfoj½ 0;oLFkk %

(1) प्रदर्शनी प्रशासन के कैम्पों की संख्या व स्थान गत वर्षों की भाँति रखा जाना प्रस्तावित है। (नक्शा रेखांकित संलग्न है)

(2) सामाजिक संगठनों / कर्मचारियों के कैम्पों की संख्या व स्थान गत वर्षों की भाँति रखा जाए।

(3) राजनैतिक दलों के कैम्प कृषि कक्ष के समीप व लाल ताल के सामने सीरीज में गतवर्ष की भाँति आमने सामने लाइन से स्थापित करना, आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है।

(4) गत दो वर्षों में मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ का कैम्प राजनैतिक दलों के कैम्प के मध्य होने के कारण अनावश्यक अवरोध की स्थिति पैदा होने के दृष्टिगत इस वर्ष भी यह कैम्प कृषि कक्ष की ओर स्टॉल की साइड में लगवाया जाना प्रस्तावित है।

5& jxkb o irkb %

(1) प्रदर्शनी के पूर्ण परिसर में स्थापित पक्की दुकानों, भवनों, शौचालयों, सभी द्वारों व दीवारों की रंगाई, पुताई व पेंटिंग कार्य कराया जा रहा है।

(2) शताब्दी द्वार, देवद्वार, अटोरिया द्वार के गेटों पर लोहे के गेट सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित कराये गये हैं।

(3) दरबार हॉल व कृष्णाजंलि में पुताई व रंगाई कराया जा रहा है।

(4) प्रदर्शनी के सभी हैण्डपम्प इण्डिया मार्क–2 की यथा मरम्मत व चालू रखना तथा आवश्यक स्थानों पर जलापूर्ति हेतु साधारण हैण्डपम्पों की स्थापना एवं प्रदर्शनी आयोजन अवधि में देखभाल।

uo fuek.k

(5) आई0टी0आई0 रोड की ओर देवद्वार व अटोरिया द्वार तक निर्मित खड़जा का पुनर्निर्माण किया गया है।

(6) आई0टी0आई0 रोड की ओर बने मुक्ताकाश मंच की पूरब दिशा में दो ग्रीन रूम कलाकारों के प्रयोगार्थ निर्माण एवं मुक्ताकाश मंच का टिन शेड निर्माण कराया गया है। (तकनीकी प्रांकलन के आधार पर)

(7) लाल–ताल के समीप शिल्पग्राम बाज़ार स्थापित हेतु पक्की 104 पक्की दुकानों व दो द्वारों का नव निर्माण कराया गया है। तकनीकी प्रांकलन के आधार पर आर0ई0एस0 (निर्माण) संस्था के माध्यम से बनाया गया है।

(8) प्रदर्शनी परिसर में लाल–ताल की ओर व अधिकारियों के कैम्पस जहाँ पानी भर जाता है, उस स्थान को मिट्टी डलवाकर ऊँचा कराया जाना व अन्य स्थानों पर प्रदर्शनी परिसर में आवश्यकतानुसार मिट्टी डलवाया जाना प्रस्तावित है।

(9) अतिथिगृह के पास कब्रिस्तान की साइड में दीवार को 6 फीट ऊँचा कराया जाना एवं एक लोहे का गेट प्रदर्शनी हित में लगवाया जाना प्रस्तावित है। (तकनीकी प्रांकलन के आधार पर)

6& 'kkpky;k dh 0;oLFkk %

नेडा परियोजना द्वारा प्रदर्शनी परिसर में तीन महत्वपूर्ण स्थानों पर बॉयो–गैस शौचालय कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया गया है, जिसका भुगतान प्रदर्शनी निधि से परियोजना निदेशक, नेडा, अलीगढ़ को किया गया था। नेडा परियोजना द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, जिसका ठेका नेडा द्वारा ही अपने स्तर से उठाया गया है। नेडा द्वारा उक्त शौचालयों को प्रदर्शनी प्रशासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित है। प्रदर्शनी आयोजन के समय दुकानदारों आदि को निःशुल्क सुलभ शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध रहने के साथ–साथ प्रदर्शनी आयोजन के उपरान्त पूर्ण वर्ष के लिये प्रदर्शनी प्रशासन द्वारा ठेके पर उठाने का प्रस्ताव है।

7& lQkb 0;oLFkk %

गत वर्ष 2007 में प्रदर्शनी आयोजन हेतु पूर्ण परिसर की सफाई व्यवस्था नगर निगम से कराई गयी थी। नगर निगम से सफाई व्यवस्था उचित व्यवस्थित रही है। इस दृष्टि से इस वर्ष भी सफाई व्यवस्था नगर

निगम से करायी जा रही है।

8&   i:cU/ku 'kYd 0;oLFkkiu %

प्रबन्धक शुल्क व्यवस्थापन क्षेत्र में खेल तमाशों, होटल, वैरायटी शो, चाट बाज़ार, सन्दूक बाज़ार, लकड़ी बाज़ार, फोटो व झूलों वालों आदि को गत वर्षों की भाँति आवंटन का कार्य ठेका आधार पर ठेकेदार द्वारा निर्धारित किया जाना, जो निर्धारित मानचित्र के आधार पर ठेकेदार दुकानें व खेल तमाशें वालों को स्थान आवंटित कर सकेंगे। जी0टी0 रोड एवं आन्तरिक कच्चे बाज़ारों में यातायात दृष्टि से जी0टी0 रोड पर पैन्टेड भाग तक एवं अन्दर कच्चे अस्थायी बाज़ारों/गली में आठ–आठ फुट का रास्ता छोड़कर आवंटन का निर्णय उचित होगा। गत वर्ष का ठेका इसी प्रकार अनुमोदन हुआ था। यह व्यवस्था यातायात दृष्टि से भी उचित रही।

9&   ckxokuh dh r:;kjh %

(1) बागवानी प्रत्येक प्रदर्शनी आयोजन में मुख्य आकर्षक रहती है तथा जनता द्वारा भी सराहा जाता रहा है। दरबार हॉल में, पक्की दुकानों बाज़ार में तथा कैम्प स्थलों पर बागवानी हेतु क्यारियों एवं पौध की तैयारी दिनांक 01–10–2007 से करा दी गई है, जिससे समय पर पुष्प विकसित रहें।

10&   Lekfjdk i:dk'ku %

स्मारिका प्रकाशन पूर्व वर्ष की भाँति कराकर समापन दिवस पर विमोचन एवं माननीय सदस्यों को वितरित कराए जाने का प्रस्ताव है। स्मारिका प्रकाशन में प्रदर्शनी का इतिहास एवं उससे सम्बन्धित लेख तथा उद्योग एवं कृषि विकास सम्बन्धी लेखों अलीगढ़ से सम्बन्धित प्रासंगिक लेखों का प्रकाशन ही होता है। प्रदर्शनी कृषकों के लिए कृषि संयन्त्रों एवं लघु उद्यमियों को औद्योगिक आधुनिक तकनीकी जानकारियों का प्रचार माध्यम है। समापन दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा प्रदर्शनी की स्मारिका का विमोचन किया जाएगा। स्मारिका मुद्रण का व्यय विज्ञापनों द्वारा एकत्रित राशि से किया जाना प्रस्तावित है। गत वर्ष डॉ0 रघुराज स्परूप ''राज'' की अध्यक्षता में सम्पादकीय बोर्ड बनाए जाने का निर्णय लिया गया था, जो इस वर्ष तद्नुसार विचारार्थ प्रस्तुत है।

11&   ekun:; 0;oLFkk %

(1) प्रदर्शनी में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, संगठनों, कार्यक्रम प्रभारियों/संयोजकों, प्रेस के प्रतिनिधियों को समापन समारोह के अवसर पर प्रतीक चिन्ह दिए जाने पर विचार।

(2) पुलिस विभाग को एक मुश्त धनराशि दिए जाने पर विचार।

(3) प्रदर्शनी में सम्बद्ध कर्मचारियों को गत वर्षों की भाँति मानदेय दिया जाना।

12&   i:n'kuh lfefr d: fo:) nk;j flfoy okn:dh fLFkfr %

प्रदर्शनी समिति के विरूद्ध निम्न वाद सिविल न्यायालयों में विचाराधीन हैं :–

		nk;j o"k	okn eY;
1.	मैसर्स गुप्ता टैन्ट हाउस आगरा रोड, अलीगढ़ टैन्ट नाट्यशाला कवरिंग व बिछाई स्टेज	1993	रू0 15,686.00 (भुगतान)

2. श्री दुर्गपाल सिंह (माली), श्री नेत्रपाल सिंह (माली) व श्री यतेन्द्रपाल शर्मा (चौकीदार) द्वारा श्रम न्यायालय, आगरा में वाद योजित किया है।

क्रमांक 01 पर मैसर्स गुप्ता टैन्ट हाउस के स्वामी श्री प्रकाशचन्द्र गुप्ता से भी निगोसियशन के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। उक्त दोनों वादों को समझौता के आधार पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

13&   vk;&0;; ¼ctV½ %

(1) आई0टी0आई0 रोड पर बनी दस पक्की दुकानों में से एक दुकान निजी चिकित्सक को रू0 250/– मासिक, दो दुकानें उप डाकघर इण्डस्ट्रीयल स्टेट रू0 800/– मासिक तथा तीन दुकानें पुलिस चौकी आई0टी0आई0 को आवंटित है। शेष चार दुकानों को मासिक किराया रू0 600/– प्रति दुकान किराया आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रीमियम की राशि ही निर्धारित किए जाने हेतु आम नीलामी कार्यवाही की जाएगी।

(2) पुनिया द्वार के निकट लोक निर्माण विभाग से निर्माणाधीन दुकानों को प्रीमियम के आधार पर नियमानुसार किराया निर्धारित कराकर किराए पर आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। प्रीमियम की राशि का निर्धारण नीलामी कार्यवाही से तथा दुकान का किराये का निर्धारण लोक निर्माण विभाग से नियमानुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रदर्शनी के सभी कार्यक्रमों के आयोजन में प्रस्तावित राशि/बजट स्वीकृत से अधिक धनराशि व्यय न किया जाना।

(4) यथा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय संगीत निशा (फिल्मी कलाकारों–सिंगर डान्सर

छोड़कर) कब्बाली, मुशायरा–गजल आदि कार्यक्रमों के आयोजन पर होने वाली व्यय राशि को प्रायोजकों द्वारा प्रायोजित कराए जाने, जिससे प्रदर्शनी निधि पर कम भार हो प्रायोजित न होने की दशा में प्रदर्शनी निधि से व्यय किया जाना।

(5) गतवर्ष 2006–07 में संलग्न आय–व्यय विवरण के अनुसार कुल प्राप्तियाँ रू0 **3,26,14,119-00** तथा भुगतान व्यय विभिन्न मदों, व्यवस्थाओं एवं जीर्णोद्धार कार्यों पर रू0 **1,67,19,198-00** एवं कार्यक्रमों के आयोजन पर व्यय रू0 **52,88,811-00** तथा मुक्ताकाश मंच कार्यक्रमों पर व्यय रू0 **3,31,640-00** को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय रू0 **2,23,39,649-00** हुआ है।

(6) वर्ष 2007–08 में होने वाली प्रदर्शनी आयोजन में कुल मदों से प्रस्तावित प्राप्तियाँ रू0 **4,31,79,870-00** एवं विभिन्न मदों और आवश्यक व्यवस्थाओं पर व्यय रू0 **2,45,88,000-00** व विभिन्न कार्यक्रमों आयोजन पर व्यय रू0 **92,52,410-00** तथा मुक्ताकाश मंच कार्यक्रम आयोजन पर व्यय रू0 **3,31,640-00** का अनुमानित कुल व्यय रू0 **3,41,72,050-00** प्रस्तावित किया गया है। कार्यक्रमों पर व्यय के अनुमान के सन्दर्भ में सांस्कृतिक कार्य समिति द्वारा भी तद्नुसार विचार किया जाना प्रस्तावित है।

14& in'kuh dh iDdh nqdkuks dk vkoVu uhfr gsrq iLrko%

(1) प्रदर्शनी स्थल पर कुल 524 दुकानें पक्की हैं, जिनका विधिवत आवंटन नीति के अनुसार दुकान आवंटन समिति के माध्यम से आवंटन होता है।

(2) प्रदर्शनी के उद्घाटन दिवस के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर आवंटित दुकानों की जांच/निरीक्षण आवंटन समिति द्वारा कराया जाकर सबलेटिंग/सब–टैनेन्सी पाए जाने पर दुकानदार से जो प्रदर्शनी दौरान दुकान पर पाया जाए, उससे निर्धारित किराया का चार गुना के बराबर राशि अर्थदण्ड अतिरिक्त वसूल करने के उपरान्त दुकान आवंटन उसी व्यक्ति को करने हेतु प्रस्ताव है। अतः इस बार भी कड़ाई से यह कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है, जिससे सबलेटिंग को बढ़ावा न मिले।

(3) उक्त सामान्य प्रक्रिया के उपरान्त शेष बची दुकानों को नीलामी प्रक्रिया से आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। गतवर्ष में नीलामी प्रक्रिया से आवंटित की गयी दुकानों को इस वर्ष भी नीलामी प्रक्रिया से आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) देश की विभिन्न प्रदर्शनियों एवं ग्वालियर व्यापार मेला से कम्पनियों के स्टॉल/शोरूम को प्रेरित कर इस प्रदर्शनी में लाया जाना प्रस्तावित है।

(5) अध्यक्ष महोदय एवं प्रदर्शनी की अन्य व्यवस्थाओं के प्रयोगार्थ एक वाहन प्रदर्शनी निधि से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

15& ;krk;kr ,oa iqfyl 0;oLFkk %

(1) यातायात एवं पुलिस व्यवस्था को प्रदर्शनी दौरान में सुदृढ़ कराए जाने की आवश्यकता है, प्रदर्शनी आयोजन की पूर्ण अवधि में जी0टी0 रोड पर यातायात बन्द रहे, क्योंकि गत वर्षों में कई बार दुर्घटना हुई है। खेल तमाशें झूले, सर्कस, वैरायटी शो प्रतिदिन रात्रि 12.00 बजे तक व नौटंकी रात्रि 4.00 बजे तक चलते रहने हेतु अनुमति गत वर्ष के अनुसार रखने का प्रस्ताव।

(2) पुलिस व्यवस्था में प्रदर्शनी परिसर में एक कोतवाली सहित पांच थाने व नौ पुलिस चौकी एवं एक नियन्त्रण कक्ष अस्थाई रूप से स्थापित कराया जाएगा। यातायात की सुचारू व्यवस्था की दृष्टि से जी0टी0 रोड पर दोनों ओर मजबूत बैरियर लगवाए जाएंगे तथा प्रदर्शनी आयोजन दौरान यातायात जी0टी0 रोड पर पूर्ण अवधि बन्द रखा जाएगा।

(3) पुलिस विभाग के डॉग स्काउड की व्यवस्था रखे जाने का प्रस्ताव जिससे सन्दिग्ध वस्तुओं पर सतर्क दृष्टि रखी जा सके।

(4) यातायात व्यवस्था की दृष्टि से उचित होगा कि प्रबन्धन शुल्क व्यवस्थापन क्षेत्र में दुकानें जी0टी0 रोड पर मैटल्ड भाग तक ही ठेकेदार को अनुमत किया जाए। इसी प्रकार आन्तरिक कच्चा क्षेत्रों में भी आठ–फुट का रास्ता छोड़कर दुकानें व खेल, तमाशों को लगवाया जाए।

(5) गत वर्ष यातायात व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ण प्रांगण में वाहन घूमते पाए जाते रहे इस दृष्टि से आई0टी0आई0 रोड की ओर सभी द्वारों पर बैरियर लगाकर साईकिल, स्कूटर व कार वाहन स्टैण्ड का ठेका उठाया जाना प्रस्तावित है, जिससे वाहनों का प्रदर्शनी परिसर में प्रतिबन्ध बना रहे, राजकीय वाहन व गैर सरकारी वाहनों के कार पास व स्कूटर वाहन पास जारी किए जाने पर अधिकतम पार्किंग स्थल तक ही आ सकेंगे। अतः पार्किंग/यातायात व्यवस्था पर पुनः विचार किया जाना आवश्यक है।

16& ,e0,e0;w0 0;oLFkk %

वर्ष 1999 से गत वर्ष तक ए0एम0यू0 प्रशासन से समन्वय कर छात्रों की स्थिति नियंत्रित रही है। वर्ष 1999 में ए0एम0यू0 के छात्रों द्वारा प्रदर्शनी परिसर में तोड़–फोड़ व हिंसक घटनाएं करने का प्रयास किया गया था, जिसे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के तत्कालिक प्रयास द्वारा नियन्त्रण में किया जा सका था। इस वर्ष भी ए0एम0यू0 प्रशासन से समन्वय कर प्रदर्शनी परिसर में एम0एम0यू0 छात्रों पर प्रभावी नियन्त्रण किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही प्रस्तावित है :–

(1) ए0एम0यू0 छात्र निर्धारित वेशभूषा में ही प्रदर्शनी परिसर में जाएं।

(2) ए0एम0यू0 छात्र रात्रि 9.00 बजे से पूर्व प्रदर्शनी परिसर छोड़ दें।
(3) ए0एम0यू0 छात्र कृष्णाजंलि में निर्धारित स्थानों पर ही बैठें।
(4) ए0एम0यू0 छात्र अपने पहचान पत्र (आई0कार्ड) अपने सीने पर बांई ओर लगाएं।
(5) ए0एम0यू0 प्रोक्टर व उनका स्टाफ एवं मोनीटर्स छात्रों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखें।
(6) जी0टी0रोड स्थित वैरायटी शो, हुल्लड़ बाजार, सर्कस इत्यादि में ए0एम0यू0 छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहे।

प्रदर्शनी के सफल आयोजन में सभी शासकीय विभागों, पुलिस विभाग, नगर निगम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जनपद के सभी विद्यालयों (विद्यालय व महाविद्यालय), गैर सरकारी संस्थाओं, प्रदर्शनी के सभी सम्मानीय सदस्यों एवं जनता का पूर्ण सहयोग गत वर्षों की भाँति इस बार और भी अधिक प्राप्त होगा तथा पूर्ण विश्वास है कि जनपद की इस गौरवशाली प्रदर्शनी का आयोजन पूर्ण सफलता पूर्वक सम्पन्न होगा।

rglhynkj] dk;@lkekU; eU=h]
राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी,
अलीगढ़

vij ftyk eftLVªsV ¼uxj½@iHkkjh vf/kdkjh]
राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी,
अलीगढ़।

राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी, अलीगढ़ के वर्ष 2008 के आयोजन के सम्बन्ध में सामान्य सभा समिति की बैठक दिनांक 23–01–2008 के लिए ऐजेण्डा रिपोर्ट :–

अब से 128 वर्ष पूर्व सन् 1880 ई0 में तत्कालीन अंग्रेज कलैक्टर मार्शल द्वारा ''अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट फेयर'' के नाम से यहां एक जन मेला लगाया जाना प्रारम्भ हुआ जिसे कालान्तर में राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के नाम से जाना जाने लगा। सम्मानीय सदस्यों को सादर अवगत कराना है कि राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी, अलीगढ़ का नियमानुसार डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स एवं चिट्स उत्तर प्रदेश, आगरा द्वारा पंजीयन कर नवीनकरण प्रमाण पत्र संस्था को उपलब्ध करा दिया है, साथ ही माननीय आयुक्त आयकर से भी यह ट्रस्ट घोषित है जिसकी विधि मान्यता है। सभी सम्मानीय सदस्य– सामान्य सभा व कार्यकारिणी समिति उक्त ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं व ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष जिला के जिलाधिकारी हैं।

राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की प्रतीक अलीगढ़ नगर की इस प्रदर्शनी ने देश में अपना विशिष्ट स्थान रखते हुए अपने गौरव को प्रतिवर्ष और बढ़ाया है। जनपद की राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी की इस गौरवशाली परम्परा को और आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2007–2008 में माह–जनवरी, 2008 के अन्तर्गत प्रदर्शनी के आयोजन के सम्बन्ध में निम्नलिखित ऐजेण्डा बिन्दुओं पर विचार–विमर्श हेतु यह बैठक आहूत की गई है।

गत वर्ष प्रदर्शनी का आयोजन 31 जनवरी, 2007 से 23 फरवरी, 2007 तक हुआ था। प्रदर्शनी के सफल आयोजन में जनपद के सभी वर्गों के नागरिकों एवं विभिन्न संस्थाओं, अधिकारियों एवं सम्मानीय सदस्यों का विशिष्ठ सहयोग प्राप्त हुआ था।

प्रदर्शनी की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 01–11–2007 को सम्पन्न हुई जिसमें आगामी प्रदर्शनी के आयोजन के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों के अनुसार ऐजेण्डा निम्नवत् है, जो विचार–विमर्श हेतु समक्ष प्रस्तुत है :–

1. प्रदर्शनी का आयोजन 24 दिवसीय दिनांक 28–01–2008 से दिनांक 20–02–2008 तक आयोजित होने का निर्णय लिया गया है। उद्घाटन की समस्त तैयारी समय से पूर्व कर ली जाये तथा सम्बन्धितों को पत्र आदि समय से पूर्व भेज दिये जायें।
2. कार्यक्रमों के निर्धारण एवं सहयोग हेतु सांस्कृतिक कार्य समिति अपर ज़िलाधिकारी (नगर)/प्रभारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित करने का निर्णय लिया गया, गतवर्ष की भाँति जिसमें सरकारी/गैर सरकारी दस सदस्य प्रस्तावित हैं।
3. स्थानीय कलाकारों को पर्याप्त अवसर, प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अधिक से अधिक स्थानीय कार्यक्रम रखे जाने एवं स्कूली कार्यक्रम हेतु स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर एक मंच पर ट्रायल कराने के बाद प्रदर्शनी आयोजन के समय कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
4. लाल–ताल की ओर लोक नृत्य पवेलियन (मुक्ताकाश मंच) पर देश के सभी राज्यों से डांस यथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी, मध्य प्रदेश आदि नृत्यों के कलाकारों को आमंत्रित कर कार्यक्रम कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
5. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन सांस्कृति केन्द्र लखनऊ, सांस्कृतिक केन्द्र इलाहाबाद आदि से अधिक से अधिक कार्यक्रम आयोजित कराकर न्यूनतम दरों पर उच्चस्तरीय कार्यक्रम कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
6. देवद्वार, अटोरिया द्वार के मध्य स्थान पर गतवर्ष की भाँति हॉर्स शो, कैटल शो एवं डॉग शो कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
7. गतवर्ष अन्य प्रान्तों से आए हस्तशिल्प बाज़ार का आयोजन लाल–ताल के समीप किया गया था, जहाँ बरसात होने के कारण पानी भर जाने से दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा तथा हस्तशिल्प बाज़ार कैम्पों के पीछे होने के कारण वहाँ अत्याधिक जनता पहुँच नहीं पाई। अतः यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिल्पग्राम बाज़ार को प्रदर्शनी के मुख्य मार्ग के सहारे बनाकर राजनैतिक/संस्था के कैम्पों को शिल्पग्राम बाज़ार के पीछे स्थापित किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य विकास अधिकारी का कैम्प अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही लगाया जाये।
8. बैठक में निर्णय लिया गया कि एक सांस्कृतिक समिति का गठन किया जाये, जो कार्यक्रमों की रूप–रेखा तैयार करे और उच्चस्तर के कार्यक्रम तैयार कराये, जो प्रदर्शनी के मंच पर प्रस्तुत करने के स्तर के हो।

––2

9. ज़िलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त सदस्यों से आह्वान किया कि वे उद्योगपति,

समाचार पत्र, मीडिया चैनल, पेट्रोलियम एसोसियशन, ट्रांसपोर्टर, हाइन्ज, रिलायन्स, एयरटेल, एक्सपोर्टर, हिन्द एग्रो आदि से सम्पर्क कर कृष्णांजलि में आयोजित होने वाले बड़े कार्यक्रमों को प्रायोजित कराने का प्रयास करायें। प्रायोजक कार्यक्रमों के आयोजन की पूर्ण जिम्मेदारी लें, स्वयं कार्ड छपवाये, वितरण करायें एवं वी0आई0पी0 को आमंत्रित करें तथा आने वाले कलाकारों का पूर्ण प्रबन्ध करें, जिससे कि पूर्व वर्षों में प्रायोजकों की शिकायत, कि उन्हें महत्व नहीं दिया जाता है, समाप्त हो जायेगी और इन कार्यक्रमों को कराने से जो धनराशि की बचत होगी, उसका उपयोग प्रदर्शनी में स्थायी निर्माण के लिये खर्च किया जा सकता है। सभी कार्यकारिणी के सदस्य एक–एक कार्यक्रम को प्रायोजित कराने की जिम्मेदारी लें तथा कार्यशील सदस्यों को नये संयोजक बनाया जा सकता है। सीधे प्रायोजक द्वारा कार्यक्रम प्रायोजित कराने पर विचार–विमर्श किया गया। प्रदर्शनी में नकद/चैक द्वारा धनराशि जमा न करें।

10. यह भी निर्णय लिया गया कि दरबार हॉल में होने वाले कार्यक्रमों को मुक्ताकाश मंच पर आयोजित कराया जाये तथा दरबार हॉल को विभिन्न प्रकार की लाइट आदि लगाकर भव्य रूप दिये जाने का निर्णय लिया गया।
11. श्री प्रदीप सक्सैना, सदस्य कार्यकारिणी द्वारा हरिदास महोत्सव कराने का सुझाव दिया गया, जिसमें कहा गया कि क्लासिकल गायन कलाकारों को आमंत्रित किया जाये तथा क्लासिकल गायन के जानकार अच्छे श्रोताओं को इस कार्यक्रम के लिये आमंत्रित किया जाये।
12. पदम्भूषण गोपालदास ''नीरज'' द्वारा 1857 की आजादी की लड़ाई की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उच्चस्तरीय मुशायरे का आयोजन कराने का सुझाव दिया गया, जिसको सर्वसम्मति से विचारार्थ स्वीकार किया गया।
13. सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि नौटंकी व वैरायटी शो में होने वाले उपद्रव को दृष्टिगत रखते हुये नृत्यांगना द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों एवं अश्लीलता के सम्बन्ध में मानक तय कर फूहड़ता को कम किया जाये तथा एक सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि वैरायटी शो का नाम बदलकर चित्रहार कर दिया जाये एवं इन नौटंकी व वैरायटी शो को जी0टी0 रोड से हटाकर लुईसा स्कूल गेट के सामने साईकिल स्टैण्ड के स्थान, जेलरोड पर लगाया जाये, जिससे कि जी0टी0 रोड पर होने वाली भीड़–भाड़ को रोका जा सके, जिसका लेआउट तैयार कराकर स्थिति को देखते हुये निर्णय लिया जायेगा।
14. सदस्यों एवं श्रीमती शान्ति सिंह, फ्लोरा कॉटेज द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि कृष्णांजलि में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिये विभिन्न कलाकारों से फूलों की सजावट के साथ–साथ कार्यक्रम की थीम के अनुसार स्टेज की सजावट करायी जाये।
15. सदस्यों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि खोया–पाया सेंटर पर एक मोबाइल उपलब्ध करा दिया जाये, जिसके नम्बर का प्रचार जगह–जगह बोर्ड लगाकर कराया जाये।
16. सदस्यों द्वारा पाँच हाई मास्क लाइट प्रदर्शनी परिसर में लगाने का सुझाव दिया गया, जिसे ज़िलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया।
17. ज़िलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को जी0टी0 रोड पर राजेन्द्र सिंह अखाड़े वाली भूमि पर किसान भवन बनाये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
18. ए0एम0यू0 ड्रामा/म्यूजिकल क्लब व ज़िला के सभी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को उच्च स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाने हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। श्री पंकज धीरज द्वारा सुझाव दिया गया कि धर्मसमाज/वार्ष्णेय महाविद्यालय व टीकाराम कन्या महाविद्यालय, मगलायतन यूनिवर्सिटी को समय से पूर्व सूचित किया जाए, जिससे वह अपनी तैयारी कर सकें।
19. कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी व्यवस्थायें बैनर्स, स्टेज सजावट (पुष्प सजावट सहित) कलाकारों की व्यवस्था आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही आयोजकों व प्रायोजकों को अपने स्तर से कराने का निर्णय लिया गया है तथा कलाकारों को ठहराने व खाने–पीने आदि की व्यवस्था प्रदर्शनी की ओर से की जायेगी।
20. प्रदर्शनी स्थल की पक्की दुकानों की पर्याप्त, भवनों, शौचालयों व दीवारों की यथा रंगाई पुताई, पेन्टिंग, कृष्णांजलि व दरबार हॉल में रंगाई–पुताई कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

21. प्रदर्शनी कार्यालय की छत का लेंटर एवं अभिलेखों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये प्रांकलन के आधार पर जीर्णोद्धार कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
22. शताब्दी द्वार, देवद्वार, अटोरिया द्वार पर लोहे के गेट लगाये जाने का निर्णय प्रांकलन के आधार पर लिया गया है।
23. प्रदर्शनी परिसर की सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण लोक निर्माण विभाग व नगर निगम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
24. अतिथिगृह के सभागार की पश्चिमी दिशा में एक टीनशेड प्रांकलन के आधार पर बनवाये जाने का निर्णय मण्डी परिषद् निर्माण इकाई, अलीगढ़ से कराये जाने का लिया गया।
25. आई0टी0आई0 रोड की ओर से देवद्वार व अटोरिया द्वार तक निर्मित एवं प्रदर्शनी परिसर की पक्की दुकानों के मध्य बने रास्ते पर खरंजा सड़क को राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
26. आई0टी0आई0 रोड की ओर बने मुक्ताकाश मंच की पूर्व दिशा में कलाकारों की सुविधा के लिये प्रांकलन के आधार पर दो ग्रीन रूम व मुक्ताकाश मंच पर टीन शेड व दर्शकों के बैठने के लिये प्लेट फार्म का निर्माण कार्य मण्डी परिषद् निर्माण इकाई, अलीगढ़ से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
27. शिल्पग्राम बाज़ार स्थापित कराने हेतु 104 पक्की दुकानें, दुकानों के मध्य डबल लेन की सी.सी. रोड, चार फुव्वारें, फ्लॉवर बैड्स व दो द्वारों का निर्माण एवं राजस्थान से लाल पत्थर के हाथी, शेर, लाइटें आदि लगाकर साज–सज्जा का कार्य कराया गया तथा कृषि कक्ष में 39 पक्की दुकानें व दो द्वारों को तकनीकी प्रांकलन/डिजाइन के आधार पर कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उक्त कार्य उपनिदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद्, अलीगढ़ से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
28. अतिथिगृह के पास कब्रिस्तान के साइड में दीवार को छः फीट ऊँचा करके लोहे का गेट लगाया जाना अनुमोदित किया गया।
29. अधिकारियों के कैम्पों में बनी बागवानी क्यारियों एवं पौधों की सुरक्षा हेतु जाली के गेटों को लगाया जाना अनुमोदित किया गया।
30. गतवर्ष की भाँति प्रदर्शनी में तैनात अधिकारी/कर्मचारी, सामाजिक संगठनों/कार्यक्रम प्रभारी/संयोजकों तथा प्रैस प्रतिनिधियों को ''स्मृति चिह्न'' दिये जाने, पुलिस विभाग को एक मुश्त धनराशि दिये जाने व प्रदर्शनी से सम्बद्ध कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने का निर्णय लिया गया।
31. आई0टी0आई0 रोड स्थित बनी प्रदर्शनी दुकानों में जिनमें पुलिस आवासित है, की आवश्यक मरम्मत कराये जाने की स्वीकृति ज़िलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गयी।
32. पुनिया द्वार के दोनों ओर बनी 14 पक्की दुकानों को प्रीमियम के आधार पर किराया राशि को आधा करके पुनः आवंटित कराने का निर्णय ज़िलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा लिया गया।
33. समस्त सदस्यों द्वारा ध्वनि मत से मुक्ताकाश मंच पर होने वाले कार्यक्रमों का गतवर्ष की अपेक्षा बजट बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।
34. प्रदर्शनी के सभी हैण्डपम्प व इण्डिया मार्का–II की मरम्मत व चालू रखने सम्पूर्ण प्रदर्शनी आयोजन अवधि में देखभाल रखने का निर्णय लिया गया।
35. प्रदर्शनी अतिथिगृह के सम्पूर्ण कक्षों की रंगाई–पुताई कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
36. गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी प्रदर्शनी परिसर की सफाई नगर निगम से सफाई कराये जाने निर्णय लिया गया है।
37. प्रबन्धन शुल्क व्यवस्थापन क्षेत्र में खेल–तमाशों, होटल, वैराएटी शो, चाट बाजार, झूले आदि पूर्ववत् व्यवस्था हेतु ठेका किया जायेगा तथा सड़क/रास्तों पर एक सफेद पट्टी बनायी जायेगी, जिससे आगे कोई दुकानदार अपनी दुकान नहीं लगा सकेगा तथा पक्की दुकानों के किसी भी बाज़ार/रास्ता पर फड़ लगाने की इजाजत नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
38. स्मारिका प्रकाशन पूर्व की भांति रहेगी तथा विज्ञापन लिये जान का निर्णय लिया गया है।
39. प्रदर्शनी समिति के सिविल वादों मै0 गुप्ता टैन्ट हाऊस को निगोसियशन/समझौते आधार पर व श्री दुर्गपाल, (माली), श्री नेत्रपालसिंह, (माली) व श्री यतेन्द्रपाल शर्मा (चौकीदार) द्वारा श्रम न्यायालय, आगरा व अन्य न्यायालय में वाद योजित किया है, तो उक्त न्यायालयों से वाद को वापिस लेने व शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर निस्तारित कराने का निर्णय लिया गया।

40. प्रदर्शनी वर्ष 2006—07 में हुये आय—व्यय तथा आगामी प्रदर्शनी वर्ष 2007—08 के लिये प्रस्तावित आय—व्यय तद्नुसार अनुमोदन हुआ। कार्यक्रमों पर व्यय बजट से अधिक होने पर उसके भुगतान का अधिकार सर्व सम्मति से ज़िलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय प्रदर्शनी को दिया गया।
41. प्रदर्शनी की पक्की दुकानों का आवंटन नीति का अनुमोदन किया गया। प्रदर्शनी के उद्घाटन दिवस के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर आवंटित दुकान की जाँच/निरीक्षण आवंटन समिति द्वारा करायी जाकर सबलेटिंग/सबटैनेन्सी पाये जाने पर दुकानदारों से जो प्रदर्शनी दौरान दुकान पर बैठा पाया जायेगा, उससे निर्धारित किराये का चार गुने के बराबर राशि अर्थदण्ड के रूप में वसूल करके, उसी व्यक्ति को दुकान आवंटित कर दी जायेगी, जिससे कि सबलेटिंग पर रोक लगायी जा सके। उक्त नीति का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया।
42. पुलिस व्यवस्था एवं पार्किंग/यातायात व्यवस्था गतवर्षों की भाँति रहेगी तथा एक मॉनिटर प्रिन्टिंग कैमरा/क्लोज सर्किट टी0वी0 लगाये जायेंगे तथा सुरक्षा का माहौल पैदा करने हेतु करायी गयी व्यवस्थाओं का प्रचार—प्रसार कराया जाये तथा गांधी जी की मूर्ति व फुव्वारा चौराहा पर अतिरिक्त फोर्स तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया।
43. आई0टी0आई0 रोड की ओर सभी द्वारों पर बैरियर लगाकर वाहनों को प्रतिबंधित किया जायेगा राजकीय वाहन व गैर सरकारी वाहनों के कार, स्कूटर, साइकिल तथा मोटर साईकिल पास तीन तरह के जारी किये जायेंगे। कलाकर/वी0वी0आई0पी0 आदि को कृष्णांजलि तक आने के पास पर रूट अंकित कर जारी करने का निर्णय लिया गया है।
44. यातायात एवं पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने के लिये प्रदर्शनी आयोजन अवधि में जी0टी0 रोड पर यातायात पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा तथा खेल—तमाशे, झूले, सर्कस, वैरायटी प्रति रात्रि 12.00 बजे व नौटंकी रात 4.00 बजे तक चलते रहने की अनुमति गतवर्ष की भाँति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
45. ए0एम0यू0 व्यवस्था के लिये ए0एम0यू0 के प्रोक्टर व अनुशासन अधिकारी की मीटिंग बुलाकर आचार संहिता नियम तय किये जायेंगे।
46. कृषि विकास प्रदर्शनी में किसानों को नयी जानकारी हेतु एवं औषधि की खेती को बढ़ावा देने साथ ही साथ कृषि कक्ष का भव्य स्वरूप दिये जाने हेतु कृषि विशेषज्ञों एवं पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय आदि को आमंत्रित किया जाकर स्टॉल लगवाये जाये तथा नवीनतम जानकारी की बैठक का आयोजन किया जाये।
47. प्रदर्शनी परिसर में अटोरिया द्वार से कम्बल बाजार तक खरंजे का निर्माण व प्रदर्शनी परिसर एवं समस्त प्रदर्शनी की पक्की दुकानों के बीच में गैलरियाँ जिसमें तहबाजारी लगती है तथा लाल—ताल द्वार से शिल्प बाजार की दुकानों तक खरंजा व परंजा का निर्माण उपनिदेशक (निर्माण), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी से कराये जाने का कार्यकारिणी में लिये गये निर्णयानुसार कराया गया।
48. किसान भवन के निर्माण हेतु पारित प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु श्री राजेन्द्र सिंह अखाड़ा के स्थान पर एक किसान भवन बनाने के लिये प्रांकलन/आंगणन व डिजाइन उपनिदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद् से बनवाने का निर्णय हुआ।
49. इस वर्ष प्रदर्शनी परिसर में एक चार सीटर वाले छोटे वायुयान से 12—15 मिनट की उड़ान होगी तथा एक स्थान पर उसको प्रदर्शन हेतु भी रखा जायेगा।
50. प्रदर्शनी परिसर में विभिन्न प्रकार के प्रकाशकों द्वारा अपने स्टॉल लगाकर बुक फेयर लगाया जायेगा।

rglhynkj dky@lkekU; e=h]
राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी,
अलीगढ़।

vij ftykf/kdkjh ¼uxj½@ iHkkjh vf/kdkjh]
राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी,
अलीगढ़।